संख्या:2068 / नौ–7–14–85(के.) / 2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–7

लखनऊ : दिनांक : 02 जनवरी, 2015

विषयः नगर निगमों के नगर आयुक्तों को मण्डल व जिला स्तर पर आहूत होने वाली बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किये जाने तथा मण्डल प्रशासन / जिला प्रशासन द्वारा नागर निकाय की कार्मिकों को नागर निकायों के कार्यों से इतर कार्य सौंपे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1204 / नौ–7–2004–21जी. / 2004, दिनांक 02.08.2004 तथा संख्या–2186 / नौ–7–2009–21जी. / 2004, दिनांक 13.10.2009 के क्रम में मुझे आपसे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डल अथवा जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में प्रायः नगर आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है तथा अन्यथा की स्थिति में उनसे अनावश्यक पत्राचार तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त, नगर प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जिनके समय का उपयोग नगर निगम में निवास करने वाले जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण में अपेक्षित होता है। नगरों की समस्याओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि नगर आयुक्तों को उनके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले दायित्वों के निवर्हन के लिये पर्याप्त समय दिया जाये। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनः यह निर्देश दिये जाते हैं कि मण्डल एवं जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में नगर आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से भाग लेने हेतु तभीं बुलाया जाये, जब उनकी उपस्थिति अत्यन्त ही अनिवार्य एवं अपरिहार्य हो।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मण्डल एवं जिला प्रशासन द्वारा प्रायः स्थानीय नागर निकायों के कार्मिकों को बहुत से ऐसे अतिरिक्त कार्य सौंपे जाते हैं, जिनके लिये विधिवत बड़े–बड़े विभाग कार्य कर रहे हैं, फलस्वरूप निकायों द्वारा जनसामान्य की सुविधाओं से संबंधित कार्यों का सुगमता से गुणवत्ता पूर्ण निराकरण नहीं हो पाता है। नागर निकाय स्वत्तशासी संस्थायें हैं, जिनका कार्य क्षेत्र बहुआयामी है तथा जिनका कुशलतापूर्वक निष्पादन नागर निकायों द्वारा अपने सीमित संसाधनों से किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि जनसामान्य की आवश्यक समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के दृष्टिगत

स्थानीय नागर निकायों के कार्मिकों को निकायों के कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों को अत्यन्त ही आवश्यक एवंअपरिहार्य परिस्थिति मे सौंपा जाये।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

31/12

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या:2068(1)/नौ–7–14–85(के.)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। सभी जिलाधिकारी
4. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेब–साइड पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

20.12.14

so nagarvikas@email com